

Most Immediate
Date Bound

No.4/112/2009-1Election
Government of Haryana
Chief Secretary Office
(Election Branch)

Dated Chandigarh, the 30th December, 2009.

To

1. All the Financial Commissioner and Principal Secretaries / All Administrative Secretaries to Government, Haryana.
2. All the Heads of Departments, Haryana.
3. The Commissioner Hisar Division, Hisar, Haryana.
4. The Deputy Commissioner-cum-District Election Officer, Sirsa, Haryana.

Subject: - Bye-Election from 46-Ellenabad Assembly Constituency-SEHYOG.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject noted above and to enclose herewith a copy of letter No.110(8)Elec-2009/2AE-10884, dated 25.12.2009 received from the Chief Electoral Officer, Haryana for strict compliance.

Yours faithfully,



(Naresh Kumar)

Superintendent Election.

Endst.No.4/112/2009-1Election

Dated Chandigarh, the 30th December, 2009.

A copy is forwarded to the Chief Electoral Officer, Haryana, Chandigarh with reference to his letter No.110(8)Elec-2009/2AE-10884, dated 25.12.2009 for information.


(Naresh Kumar)
Superintendent Election.

CC:-

- 1 PS/CS
- 2 PS/PSCM
3. Director, NIC

Department of Elections, Haryana, Chandigarh निर्वाचन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़

क्रमांक:110(8)निर्वाचन-2009/2ई-10884

दिनांक:- 25-12-2009

सेवा में

1. आयुक्त हिसार ।
2. उपायुक्त, सिरसा ।


तत्काल

विषय:- 46-एलनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप चुनाव - सहयोग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने के निर्देश हुए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 46-एलनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप चुनाव के लिए मतदान 20.01.2010 को होना निश्चित हुआ है । यह एक समयबद्ध कार्य है, जिसे ध्यानपूर्वक व सुचारु रूप से सम्पन्न किया जाना आवश्यक है । चुनाव प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों पर आधारित है, जिनका निर्धारित समय के अन्दर पालन करना अनिवार्य है । चुनाव सम्बन्धी कार्यों में किसी प्रकार की बाधा, पुरे चुनाव कार्यक्रम को अस्त-व्यस्त कर सकती है, जिसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं । इसलिए यह अति आवश्यक है कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों द्वारा निर्वाचन विभाग को पूर्ण तथा तत्परता से सहयोग दिया जाए । अतः आपसे अनुरोध है, कि इस विभाग द्वारा आपको भेजे जाने वाले सभी पत्रों को प्राथमिकता दी जाए तथा जब भी विभाग की ओर से किसी प्रकार की सूचना आपसे निर्धारित समय में मांगी जाए, तो यह सुनिश्चित करें कि वह सूचना वांछित अवधि में ही इस विभाग को अवश्यमेव पहुंच जाएं ।

2. इसके अतिरिक्त आप जिला सिरसा में आपके अधीन सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश जारी करने की कृपा करें कि वे 46-एलनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटरनिंग अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करें । विभाग को पूर्ण विश्वास है, कि उप चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस विभाग व जिला निर्वाचन कार्यालय को जब कभी भी आपसे व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होगी, तो उस समय आप अपना सहयोग और चुनाव कार्य में यथा सम्भव सहायता देंगे । कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,


अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते : मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा

Department of Elections, Haryana, Chandigarh निर्वाचन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़



पृष्ठांकन क्रमांक निर्वाचन-2009/2एई- 10885 दिनांक: - 25-12-2009

इसकी एक प्रति हरियाणा सरकार के समस्त प्रशासनिक सचिवों को भेजकर अनुरोध है, कि वह कृपया अपने अधीनस्थ विभागों को यह आदेश दे कि वे इस पत्र में दिए गए निर्देशों की दृढ़ता से पालना करें और निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

[Signature]
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते : मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा

For Internal Distribution:

1. PS to CEO.
2. PA to Addl. CEO.
3. RKE (with 5 spare copies)

[Signature]
29.12.09

[Signature]
29-12-09

[Signature]
29/12/09

E A-1

निर्वाचन शाखा
कम सख्या 24.70....
दिनांक 20-12-09